रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1986/भाद्र 24, 1908
No. 203] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 15, 1986/BHADRA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

28/11/86

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना

संख्या 105/5/86-एफ (आई).—सूचना और प्रसारण मंत्रालय एतद्द्वारा फीचर फिल्मों के आयात तथा आयातित फीचर फिल्मों के वितरण और उनके मूल्य निर्धारण संबंधी नीति के बारे में इस मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 112/7/84-एफ (आई), दिनांक 12 अक्तूबर, 1984 के परिशिष्ट में, जिसमें बाद में सार्वजनिक सूचना संख्या 112/7/84 एफ (आई), दिनांक 1 जुलाई, 1985 द्वारा संशोधन किया गया था, तत्काल से निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

खंड 2.5.3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2.5.3 उपखंड 2.5.1 और 2.5.2 में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में निगम और किसी अनिवासी भारतीय के बीच किसी विवाद की दशा में, किसी भी पक्ष के अनुरोध

पर, उसके बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और वह दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

विजेन्द्र सिंह जाफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 15th September, 1986

PUBLIC NOTICE

No. 105|5|86-F (I).—The Ministry of Information and Broadcasting hereby notify the following amendments to the Annexure to this Ministry's Public Notice No. 112|7|84-F (I) dated the 12th October, 1984 regarding the Policy for Import of Feature Films and Distribution and Pricing of Imported Feature Films and later amended by Public Notice No. 112|7|84-F (I) dated 1st July, 1985 with immediate effect, namely :—

For clause 2.5.3. the following shall be substituted, namely :—

"2.5.3 In the event of any dispute between the Corporation and a non-resident Indian in regard to any matter covered by sub-clauses 2.5.1. and 2.5.2, the same shall be decided, if approached by either party, by the Ministry of Information and Broadcasting whose decision shall be final and binding on both the parties".

VIJENDRA SINGH JAFA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986